बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-.......777/आ.नि.श. दिनांक- 10/07/2019

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
<u>सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।</u>

2. प्रधान सचिव,
<u>श्रम विभाग, बिहार, पटना।</u>

3. प्रधान सचिव,
<u>उद्योग विभाग, बिहार, पटना।</u>

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम की विविध धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन से सम्बन्धित है। इसमें अधिनियम के विविध धाराओं एवं इसमें वर्णित प्रावधानों का विवरण उपलब्ध कराते हुए इसके अनुपालन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में वर्त्तमान में प्रवृत्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) की विविध धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को संगत दायित्व सौंपे गए हैं। अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकरों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारयों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अधिनियम,2016 दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षा, उनके समाज में पूर्ण प्रभावी भागीदारी, समता/अविभेद तथा उनकी क्षमता के उपयोग हेतु समुचित वातावरण प्रदान करने के मूल उद्देश्यों को परिपूरित करता है। विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-2 (ZC-2) के अन्तर्गत निम्न 21 प्रकार की विनिर्दिष्ट दिव्यांगता यथा: चलन्त संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशिया दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अधिनियम की निम्न धाराओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन, नियोजन में विभेद न करना, समान अवसर नीति, अभिलेखों का रखा जाना एवं शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान उल्लिखित है। इनका विवरण निम्नवत है :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से सम्बन्धित धाराऐं		
धारा-19 (व्यावसायिक प्रशिक्षण स्वनियोजन)	-	(1) समुचित सरकार दिव्यांजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे,– (क) सभी मुख्य धारा के औपचरिक और गैर– औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण स्कीम और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना; (ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त है;

धारा-19 (व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन)		(ग) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविध दिव्यांगता स्वपरायणता वाले है अनन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हों; (घ) रियायती दर पर ऋण, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है; (ड.) दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन; और (च) कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डाटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी है।
धारा-20 (नियोजन में विभेद न करना)		(1) कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरूद्ध विभेद नहीं करेगा; परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यो के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेंगी। (2) प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा। (3) केवल दिव्यांग के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा। (4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है उसे अभियुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा; परंतु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा; परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमे से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा। (5) समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी।
धारा-21 (समान अवसर नीति)		(1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगा। (2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।
धारा-22 (अभिलेखों का रखा जाना)		(1) प्रत्येक स्थापन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन सुविधओं के मामलों के संबध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा। (2) प्रत्येक रोजगार कार्यलय रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
धारा-23 (शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति)		(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन, धारा–19 के प्रयोजन के लिए शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा। (2) धारा 20 के उपबधों के अनुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी की शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा। (3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहिप किया जाए और प्रत्येक शिकायत की इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी। (4). यहद व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकेंगा या सकेगी।

"अधिनियम,2016 इन्टरनेट माध्यम एवं इस कार्यालय के बेवसाइट पर सरलता से उपलब्ध है"।

स्पष्ट है कि ये उक्त प्रावधान अधिनियम के मूल उद्देश्यों के संगत प्रावधान है, जो दिव्यांगजनों के नियोजन, नियोजन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, नियोजन में विभेद नहीं करने अर्थात अवसर की समानता सुनिश्चित करने, अभिलेख संधारण एवं कार्यालय स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था एवं उनके अनुप्रयोग करने से जुड़े हैं एवं इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन संबंधित तंत्र व इसकी विविध स्तरीय संचालन इकाईयों अर्थात पदाधिकारी व कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को प्रावधान अन्तर्गत वर्णित निदेश अनुरूप ढाल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रावधानों की प्रकृति तंत्र के कार्य व्यवहार में यथा आवश्यक अपेक्षित परिवर्तन तथा तंत्र के प्रत्येक स्तर पर इससे सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की माँग करती है। उल्लेख पूर्वक कहना है कि अधिनियम,2016 के संगत राज्य सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 अधिनियम के अनुपालनार्थ जारी की जा चुकी है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित धाराओं के उल्लंघन संबंधी विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हो रहे हैं।

उक्तानुसार अनुरोध है कि अपने प्राधिकार स्थित समस्त अधीनस्थ इकाईयों को अधिनियम,2016 के उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु संवेदित व जागरूक करें तथा इन्हें कार्य व्यवहार में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसे कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के अंग के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि उक्त निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था, नियोजन हेतु पर्याप्त अवसरों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उसका निमित्त हेतु अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाय। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई जिलावार प्रतिवेदन भी इस न्यायालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। समर्पित जिलावार प्रतिवेदन के आधार पर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय द्वारा जिलावार आयोजित समीक्षा बैठक-सह-चलन्त न्यायालय के दौरान उक्त समर्पित प्रतिवेदनों के आधार पर यथाआवश्यक पूरक कार्रवाई की जा सकेगी।

उक्त विषय में यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक विभाग/निदेशालय स्तर पर समुचित पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना (नाम/पदनाम व सम्पर्क विवरण सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये नोडल पदाधिकारी अधिनियम,2016 के सम्बन्धित क्षेत्राधीन अनुपालन स्थिति के विषय में इस कार्यालय स्तर से सम्पर्क करने तथा इससे जुड़े आवश्यक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन
10.07.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-1179/आ.नि.श. दिनांक-10/07/2019

प्रतिलिपिः-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

10.07.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-1179/आ.नि.श. दिनांक-10/07/2019

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10.07.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-1179/आ.नि.श. दिनांक-10/07/2019

प्रतिलिपिः-बेवसाइट प्रभारी, कार्यालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र को कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें ताकि दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो सके।

10.07.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।